गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर ।

ई–नीलामी की सूचना

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रामगढ़ताल में नया सेवरा जेट्टी पर स्थित कियास्क क्षेत्रफल 135.00 वर्ग फिट एवं कियास्क क्षेत्रफल 32.00 वर्ग फिट को मासिक किराये पर ई–नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु दिनांक 15/9/2025 से दिनांक 26/9/2025 तक आनलाइन पंजीकरण खोला जा रहा है। उक्त अवधि में आनलाइन पंजीकृत आवेदकों के मध्य दिनांक 30/09/2025 को ई–नीलामी सम्पन्न होगी । आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक कियास्कों के लिए विड डाली जा सकती है। ई–नीलामी से सम्बन्धित नियम शर्ते व अन्य विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट **www.gdagkp.in** पर उपलब्ध है, जिस पर इच्छुक व्यक्ति आनलाइन पंजीकरण कर सकते है।

for सचिव
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर ।

उपाध्यक्ष
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर ।

रामगढ़ताल परियोजना के अन्तर्गत नया सेवरा जेट्टी पर स्थित कियास्क क्षेत्रफल 135.00 वर्ग फिट एवं कियास्क क्षेत्रफल 32.00 वर्ग फिट को ई–नीलामी के माध्यम से किराये पर आवंटन हेतु सामान्य नियम एवं शर्ते निम्नवत है :–

1– रामगढ़ताल परियोजना के अन्तर्गत नया सेवरा जेट्टी पर स्थित कियास्क क्षेत्रफल 135.00 वर्ग फिट एवं कियास्क क्षेत्रफल 32.00 वर्ग फिट को ई–नीलामी के माध्यम से 05 वर्षो के लिए मासिक किराये पर आवंटन किया जायेगा ।

2– आवेदक को ई–नीलामी में भाग लेने के लिए कियास्क क्षेत्रफल 135.00 वर्ग फिट हेतु रू0–5,00,000.00 एवं कियास्क क्षेत्रफल 32.00 वर्ग फिट हेतु रू0–2,00,000.00 धरोहर धनराशि जमा करना होगा ।

3– कियास्क क्षेत्रफल 135.00 वर्ग फिट का न्यूनतम आरक्षित मासिक किराया रू0–15,000.00 एवं कियास्क क्षेत्रफल 32.00 वर्ग फिट का न्यूनतम आरक्षित मासिक किराया रू0–3,500.00 है।

4– परिवार का कोई एक सदस्य ही नियमानुसार ई–नीलामी में भाग ले सकेगा।

5– निविदा की बोली में प्रतिस्पर्धात्मक दर निर्धारित करने तथा कम दर प्राप्त होने पर निविदा की बोली को निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर में निहित होगा।

6– कियास्क का आवंटन नियमानुसार उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में किया जायेगा ।

7– ई–नीलामी में उच्चतम सफल बोलीदाता द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली के आधार पर निर्धारित मासिक किराया जी0एस0टी0 सहित आवंटी के खाते से प्राधिकरण निधि में आटोडेविट के माध्यम से जमा करना होगा ।

8– कियास्क का किराया विलम्ब से जमा करने पर 15 प्रतिशत की दर से दण्ड ब्याज देय होगा।

9– निरन्तर 04 माह तक किराये की धनराशि जमा न करने पर जमा धरोहर धनराशि को जब्त कर कियास्क का आवंटन उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

10– किराये के 06 माह का किराया जी0एस0टी0 सहित अग्रिम के रूप में जमा करना होगा, जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा।

11– किराये के 06 माह का किराया जी0एस0टी0 सहित अग्रिम के रूप में जमा करके पंजीकृत इकरारनामा निष्पादित कराने के पश्चात् ही कब्जा दिया जायेगा।

12– ई–नीलामी में असफल बोलीदाता को उनके द्वारा जमा धरोहर धनराशि में से प्रशासनिक व्यय रू0–1,000.00 मात्र की कटौती के उपरान्त अवशेष धनराशि वापस कर दी जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा ।

13– कियास्क में खाद्य पदार्थ/खिलौना/आईसक्रीम आदि का व्यापार अनुमन्य होगा तथा किसी भी प्रकार के नशे आदि का व्यापार अनुमन्य नही होगा ।

14– निर्धारित प्रयोजन के अतिरिक्त कियास्क का अन्य कोई उपयोग किये जाने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा ।

15– कियास्क में किसी प्रकार परिवर्तन आदि किया जाना पूर्णतः वर्जित होगा तथा कियास्क का विभाजन करना भी अनियमित माना जायेगा। ऐसा करने पर आवंटी किरायेदार द्वारा जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त करते हुए आवंटन/किरायेदारी उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

16– किसी भी शासकीय कर/जी0एस0टी0 आदि के भुगतान का दायित्व किरायेदार का होगा।

17– कियास्क में विद्युत/पानी कनेक्शन लेने तथा कियास्क व उसके आस–पास साफ–सफाई रखने का दायित्व आवंटी किरायेदार का होगा।